फर्द अहकाम
(नियम-26)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर
फूलचंद बनाम स्टेट आफ राजस्थान
136 एल.आर.एक्ट
किस्म मुकदमाः- प्रकरण सं0 48 वर्ष 2018

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिलस जज	**नम्बर व तारीख अहकाम**

प्रार्थी फूलचंद पुत्र दोनाराम के द्वारा राजस्व लोक अदालत अभ्यिान 2018 कैम्प 61एफ में उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम फूलचंद है। जबकि चक 60एफ की जमाबदी संवत 2071 ता 74 के खाता सं0 96/91 में प्रार्थी का नाम हरफूल वल्द दोनाराम दर्ज है। प्रार्थी के वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड में प्रार्थी का नाम फूलचंद पुत्र दोनाराम है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में हरफूल के स्थान पर फूलचंद करने की कृपा करे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार करणपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम जमाबंदी में हरफूल दर्ज है। दस्तावेजों में फूलचंद है। सही नाम फूलचंद है। हरफलू व फूलचंद एक ही आदमी है। उक्तानुसार शुद्वि किया जाना उचित है। सरपंच ग्राम पंचायत 61एफ के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार फूलचंद व हरफूल एक ही आदमी है। जिसे दोनो नामों से जाना जाता है। अब उसको फूलचंद पुत्र दोनाराम के नाम से जाना जाता है। प्रार्थी की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत 61एफ के द्वारा की गयी। प्रार्थी के द्वारा इस संबंध में एक हलफनामा भी पेश किया। जिसमे अंकित किया कि राजस्व रिकार्ड में हरफूल के बजाय फूलचंद कर दिया जावे तो भविष्य में यदि कोई विवाद होता है तो मेरी स्वयं की जिम्मेवारी होगी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम फूलचंद अंकित है। उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत एवं तहसीलदार करणपुर के द्वारा की गयी अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 60एफ की जमाबदी संवत 2071 ता 74 के खाता सं0 96/91 में अंकित नाम हरफूल पुत्र दोनाराम के स्थान पर फूलचंद पुत्र दोनाराम अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तूर रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। आदेश इस आशय का तहसीलदार करणपुर के नाम जारी किया जाकर आदेश की एक प्रति शाखा प्रबंधक, एस.बी.आई बैंक कृषि विस्तार शाखा श्रीकरणपुर को प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सन्दीप कुमार आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Scanned by CamScanner